भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3913

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : छत्तीसगढ़ में कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए सब्सिडी

3913 श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता या सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की संख्या सहित कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए सब्सिडी के लिए कोई विशिष्ट पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ में कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना और संचालन की निगरानी के लिए कोई नियामक मानक या दिशानिर्देश लागू किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को ऊर्जा दक्षता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस करने का विचार रखती है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर छत्तीसगढ़ सहित देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों और राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

एमआईडीएच के तहत, राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के माध्यम से समय-समय पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा प्रकाशित तकनीकी मानक के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जा रही है। एनसीसीडी ने हाल ही में कोल्ड-चेन घटक-2025 में कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग दिशानिर्देश और न्यूनतम प्रणाली मानकों का नवीनतम संस्करण

प्रकाशित किया है। इन तकनीकी मानकों का उद्देश्य खेत से उपभोक्ताओं तक निर्बाध एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने और फसल-उपरांत हानि को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा-आधारित प्रणालियों को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसल-उपरांत हानि को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए भंडारण और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज शामिल नहीं हैं।

उपर्युक्त सभी स्कीमें वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिनके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) शुरू किए हैं। एआईएफ के तहत तथा कोल्ड स्टॉरिज की स्थापना सहित फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक की राशि और सावधि ऋण पर 3% की ब्याज सहायता का प्रावधान है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहित देश में कोल्ड स्टोरेज का राज्यवार वितरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

31.01.2025 तक देश में कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरयाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नगालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पांडिचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	8760	39708361

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

*****